

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 921 / 14

संस्थापन दिनांक :- 29 / 11 / 14

फाइलिंग नं. 233504001822014

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

संजू उर्फ संजय पिता रामप्रसाद अतुलकर
उम्र 33 वर्ष, निवासी इतवारी चौक आमला,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

-(नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 20.04.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-25 (1-बी) (बी) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 16.11.2014 को शाम करीब 06:45 बजे या उसके लगभग गौतम कोटवार के घर के सामने रंभाखेड़ी थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोकस्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी जिसकी कुल लंबाई 14 इंच, चौड़ाई 1 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।

2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 16.11.2014 को प्रधान आरक्षक मंगलमूर्ति को ग्राम भ्रमण के दौरान मुखबिर से जरिए टेलीफोन से सूचना मिली कि ग्राम रंभाखेड़ी में एक व्यक्ति हाथ में लोहे की गुप्ती लेकर रामप्यारीबाई को गाली गलौच मारपीट कर डरा धमका रहा है। सूचना पर वह हमराह स्टाफ के मौके पर पहुंचा जहां एक व्यक्ति उसे आने जाने वाले लोगों को डरा धमका कर हाथ में लोहे की गुप्ती लिये लहराता हुआ मिला। जिसे हमराह स्टाफ की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा गया एवं पूछताछ करने पर उसने अपना नाम संजू उर्फ संजय बताया तथा अवैध गुप्ती रखने के संबंध में कागजात न होना बताया। जिस पर उसने गवाहों के समक्ष अभियुक्त से गुप्ती जप्त कर जप्ती पत्रक एवं अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात थाने

आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 967/14 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 16.11.2014 को शाम करीब 06:45 बजे या उसके लगभग गौतम कोटवार के घर के सामने रंभाखेड़ी थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोकस्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी जिसकी कुल लंबाई 14 इंच, चौड़ाई 1 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया ?”

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

5 मंगलमूर्ति (अ.सा.-3) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 16.11.2014 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए ग्राम भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर हमराह स्टाफ के साथ ग्राम रंभाखेड़ी गौतम कोटवार के घर के सामने पहुंचा जहां उसे एक व्यक्ति हाथ में लोहे की गुप्ती लेकर रामप्यारीबाई को गाली गलौच कर मारपीट करने की धमकी देते मिला। उसके द्वारा अभियुक्त से पूछताछ करने पर कोई कागजात न होना बताये जाने पर उसने अभियुक्त से गवाहों के समक्ष एक लोहे की तलवार जप्त कर (प्रदर्श प्री-1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 967/14 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-5) लेख की थी।

6 पतिराम (अ.सा.-1) एवं गौतम (अ.सा.-2) ने अपने समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफ्तारी से इंकार किया है परंतु साक्षीगण ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) पर उनके हस्ताक्षर होने स्वीकार किया है। अभियोजन द्वारा उक्त दोनों ही साक्षियों से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य उनके कथनों

से प्रकट नहीं हुए हैं।

7 प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी पतिराम (अ.सा.-1) एवं गौतम (अ.सा.-2) ने जप्ती का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर मात्र मंगलमूर्ति (अ.सा.-3) की साक्ष्य उपलब्ध है। **न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ एम०पी० ऐ. आई.आर.1973 एससी 2783** के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी एक मात्र जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त साक्षी की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।

8 मंगल मूर्ति (अ.सा.-3) ने न्यायालयीन परीक्षण में सूचना प्राप्त होने पर ग्राम रंभाखेड़ी पहुंचकर अभियुक्त से एक लोहे की गुप्त जप्त करना, उसे गिरफ्तार करने के उपरांत थाने वापस आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करना बताया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी से औपचारिक स्वरूप के प्रश्न पूछे गये हैं जिससे कि उक्त साक्षी के द्वारा की गयी अनुसंधान कार्यवाही का ब्यौरा प्रकट होता है। जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श पी-2) के अवलोकन से यह दर्शित है कि जप्ती एवं गिरफ्तारी के प्रपत्रों में अपराध क्रमांक लेख है जिससे इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उक्त प्रपत्र जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही उपरांत तैयार किये गये होंगे। जप्ती पत्रक के अवलोकन से ऐसा प्रकट नहीं हो रहा है कि अभियुक्त से कथित आयुध जप्त किये जाने के बाद उसे मौके पर सीलबंद किया गया हो। साथ ही किसी स्वतंत्र साक्षी ने अभियुक्त से कथित आयुध की जप्ती का समर्थन भी नहीं किया है। साक्षी मंगलमूर्ति (अ.सा.-3) के कथनों से यह भी प्रकट नहीं हो रहा है कि जप्तशुदा आयुध धारदार था एवं अधिसूचना में वर्णित नाप का था। तब उपर्युक्त परिस्थितियों में अभियुक्त से कथित आयुध की जप्ती संदेहास्पद हो जाती है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

9 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 16.11.2014 को शाम करीब 06:45 बजे या उसके लगभग गौतम कोटवार के घर के सामने रंभाखेड़ी थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी जिसकी कुल लंबाई 14 इंच, चौड़ाई 1 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया। अतः अभियुक्त संजू उर्फ संजय को धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

10 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे की गुप्ती अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

11 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

12 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)